

UPRN120002702023



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर कानपुर देहात।

परिवाद संख्या –107/2023

नियाज अहमद

बनाम वसी अहमद ।

धारा- 138 N.I.Act

थाना-भोगनीपुर, कानपुर देहात।

दिनांक 09-05-2023

परिवाद पेश हुआ । अधिवक्ता परिवादी को तलबी के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।

संक्षिप्त: परिवाद का सार यह है कि परिवादी नियाज अहमद की तरफ से **विपक्षी वसी** के विरुद्ध परिवादी की देयता के अन्तर्गत अदा किया गया चैक नम्बर " 102711" कुल रुपये 3,28,000/- (तीन लाख अट्ठाइस हजार रुपये मात्र ) दिनांकित 03-01-2023 आई०डी०बी०आई० बैंक शाखा पुखरायां जिला कानपुर देहात के अनादृत होने के बावत यह परिवाद प्रस्तुत किया है। परिवादी ने उक्त चैक अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिये अपने खाते में जमा किया तो "**अपर्याप्त धनराशि**" होने के कारण लौटा दिया गया। जिसकी रिटर्न मेमो परिवादी को क्रमशः दिनांक 09-01-2023 को प्राप्त हुई।

परिवादी ने अपने कथन की पुष्टि में धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्ष्य में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मूल चैक , मूल रिटर्न मेमो , नोटिस, रजिस्ट्री की रसीद ,ट्रैक कन्साइनमेन्ट की छायाप्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किये हैं।

परिवाद एवं उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया। परिवाद के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि **नियाज अहमद** के पक्ष में प्रस्तावित अभियुक्त वसी द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित चैक उपरोक्त जारी हुआ है। Return Memo होने के कारण पत्र के परिशीलन से स्पष्ट है कि उपरोक्त चैक का भुगतान "**अपर्याप्त धनराशि**" होने के कारण परिवादी को नहीं हुआ है। परिवादी द्वारा नोटिस प्रस्तावित अभियुक्त को भेजा गया है तथा निर्धारित अवधि के अन्दर परिवाद योजित किया गया है

। अतः वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं परिवाद पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया इस स्तर पर प्रस्तावित **अभियुक्त वसी** के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध बनता है। इस स्तर पर अन्यत्र किसी अपराध में अभियुक्त को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है क्योंकि आवश्यक तत्व व साक्ष्य मौजूद नहीं है ।

### आदेश

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों में **अभियुक्त वसी** को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु बजरिये समन आहूत किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह दाखिल करें।

पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 12-06-2023 को पेश हो।

दिनांक 09-05-2023

(राशि तोमर)

सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,

भोगनीपुर, कानपुर देहात।

ID NO.UP2540